न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 14/2014

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 सम्पत सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति राजपूत निवासी सुल्ताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गोपीराम पुत्र प्रकाशचन्द्र सैनी जाति माली निवासी सुल्ताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2 मोहन सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति राजपूत निवासी सुल्ताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 04.03.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बमुकदमा उनवानी गोपीराम बनाम सम्पत सिंह मु.नं. 298/2013 दावा बाबत घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित

1. श्री हजारीलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राकेश कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

–निर्णय–

दिनांकः– 29-7-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 298/2013 में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 01 ने ग्राम सुलताना तहसील चिड़ावा की भूमि खसरा नम्बर 512 के सन्दर्भ में दावा घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई दिनांक 04.03.2014 को बाई मिटस एण्ड बाउन्डस की विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी की है। इसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुने बिना प्राथमिक डिकी जारी की है। जो विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी की है। अपीलांट के हितों के विरूद्व कोई आदेश पारित किया है विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड व मौके अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये है। जो विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को जवाब दावा पेश करने के लिये 4 अवसर दिये है इसके उपरान्त भी जवाब पेश नही करने पर बाई मिटस एण्ड बाउन्डस मौके व राजस्व

रिकार्ड के अनुसार विभाजन प्रस्ताव के लिये प्राथमिक डिक्री जारी की है। अपीलांट इस आदेश से किस प्रकार प्रभावित है यह स्पष्ट नही किया है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अपीलांट का अधिकार सुरक्षित है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27-3-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

27.3.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर